Sanjay Gandhi Biological Park, Patna

बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग।

निदेशक का कार्यालय, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

निविदा सूचना
सं० 10/2018–19

1– विभाग का नाम– पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार
2– विज्ञापनदाता का नाम– निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना,
3– निविदा प्रपत्र बिक्री की अन्तिम तिथि : 11–10–2018 संध्या 5.00 बजे तक।
4– निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि : 12–10–2018 को 2:00 बजे अपराह्न तक
5– निविदा खोलने की तिथि : 12–10–2018 को 3:00 बजे अपराह्न,
6– अग्रधन राशिः निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट।

क्रम सं०	निविदा का विवरण।	अग्रधन की राशि	जमानत राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	निविदा की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के दोनों प्रवेश द्वारों पर अवस्थित वाहन/ साईकिल स्टैण्ड की बन्दोबस्ती।	रू० 25000/– (पचीस हजार रूपये)	पूरे वर्ष की कुल राशि की पचीस प्रतिशत राशि।	रू० 1000/– प्रति।	01–11–2018 से 31–10–2019 तक (एक वर्ष)

निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र निदेशक कार्यालय से कार्यावधि में प्राप्त किया जा सकता है एवं वेबसाईट www.forest.bih.nic.in/www.zoopatna.com पर देखा जा सकता है।

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

भ्रष्टाचारी के दबाव में मत रहें, निगरानी विभाग से मिलकर कहें।

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के गेट न० 1 एंव 2 के सामने अवस्थित वाहन/ साईकिल स्टैण्ड को दिनांक 01–11–2018 से 31–10–2019 तक ठेका पर चलाने हेतु निर्धारित शर्तें।

1. संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के गेट न० 1 एवं 2 के सामने अवस्थित एवं चिन्हित वाहन/ साईकिल स्टैण्ड दिनांक 01–11–2018 से 31–10–2019 तक की अवधि के लिए चलाने हेतु दिनांक 12–10–2018 के 2.00 बजे अपराह्न तक निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में विहित प्रपत्र में मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदाकर्ता 'तकनीकी बिड' तथा 'वित्तीय बिड' दो अलग–अलग लिफाफों में डालकर एवं सीलबंद कर दोनों लिफाफों को एक अलग लिफाफे में डालकर सीलबंद करेंगे। तकनीकी बिड के लिफाफे पर 'तकनीकी बिड' तथा उसपर अपना नाम एवं पता अंकित करेंगे। उसी प्रकार 'वित्तीय बिड' के लिफाफे पर 'वित्तीय बिड' लिखकर अपना नाम एवं पता अंकित करेंगे। मुख्य लिफाफा जिसके अन्दर 'तकनीकी बिड' तथा 'वित्तीय बिड' के दोनों लिफाफे रहेंगे उसपर ''वाहन /साईकिल स्टैण्ड के लिए निविदा'' अंकित कर अपना नाम, पत्राचार का पता एवं मोबाईल नम्बर अंकित करेंगे।

2. प्राप्त निविदाओं का 'तकनीकी एवं वित्तीय बिड' दिनांक 12–10–2018 को 3.00 बजे अपराह्न में निविदाकर्त्ता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष निदेशक कार्यालय में निविदा समिति द्वारा खोले जायेंगे। यदि कोई निविदाकर्त्ता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित नहीं होते हैं तब भी निविदा मान्य समझा जायेगा।

3. निविदा का प्रपत्र एवं शर्तों की प्रति निदेशक कार्यालय से रूपये 1000/– (रूपये एक हजार) (जो लौटाया नहीं जाएगा) प्रति की दर से दिनांक 11–10–2018 के संध्या 5.00 बजे तक कार्यावधि में प्राप्त किया जा सकता है। पार्किंग क्षेत्र की जानकारी इस उद्यान के वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनस्पति प्रक्षेत्र से कार्यालय अवधि में सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।

(क) निविदाकर्त्ता द्वारा तकनीकी बिड के साथ समर्पित किये जाने वाले कागजातः–

I- निविदादात्ता द्वारा क्रय किए गए निविदा प्रपत्र से संबंधित मनी रसीद की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।

II- निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम में रू० 25,000/–(रूपये पचीस हजार) अग्रधन राशि (सत्यंकार राशि) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो पटना में भुगतेय हो।

III- पैन कार्ड की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।

IV- वर्ष 2017–18 के आयकर रिटर्न (Assessment year 2018-19) की स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति। (मूल प्रति तकनीकी बिड खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा)।

V- किसी पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेंट से अभिप्रमाणित परिसम्पति (Capital asset) जो न्यूनतम रू० 20.00 लाख का हो।

VI- पता और पहचान से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति। (मूल प्रमाण–पत्र तकनीकी बिड खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा)।

VII- राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निविदाकर्त्ता का अभिप्रमाणित हस्ताक्षर।

VIII- सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदादाता का नाम दर्ज होने/ न होने संबंधी घोषणा–पत्र।

(ख) वित्तीय बिड

I- निविदादाता द्वारा क्रय किए गए निविदा प्रपत्र पर ही अपनी दर साफ–साफ अक्षरों में दर अंकित करेंगे जो अंक एवं शब्द दोनों में होना चाहिए। उनके द्वारा अर्पित दर में सभी प्रकार का कर सम्मिलित होगा

कृ०पृ०उ०

अन्य शर्तेः–

4. यदि दो या अधिक निविदाकर्त्ता के द्वारा एक ही दर अर्पित किया जाता है तो निविदा का निर्णय पर्ची निकाल कर किया जाएगा।

5. सफल निविदाकर्त्ता को निविदा की स्वीकृति की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करना होगा तथा निविदा अवधि (एक वर्ष) की कुल राशि की 25% (पचीस प्रतिशत) राशि जमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। जमानत की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के एस०टी०डी०आर० के रूप में होगा तथा निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के पदनाम में प्लेज्ड होना चाहिये।

6. एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने, जमानत राशि एवं एक माह का अग्रिम राशि जमा करने के उपरान्त ही सफल निविदाकर्त्ता को स्टैण्ड चलाने की अनुमति दी जायेगी। यदि सफल निविदाकर्त्ता एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने, जमानत राशि एवं एक माह का अग्रिम राशि जमा करने में विफल रहते हैं तो उनके द्वारा जमा की गयी सत्यांकार (अग्रधन) राशि राज्यसात कर ली जायेगी।

7. यदि सफल निविदाकर्त्ता द्वारा कंडिका–6 का उल्लंघन किया जाता है तो वैसी स्थिति में प्रथम सफल निविदाकर्त्ता के सत्यंकार राशि (अग्रधन) को राज्यसात करते हुए निविदा समिति द्वितीय निविदाकर्त्ता को निविदा कार्य दिए जाने पर विचार कर सकती है।

8. सफल निविदाकर्त्ता को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एक माह का अग्रिम किराया निश्चित रूप से जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह का किराया 10 तारीख तक भुगतान करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रतिमाह 10 तारीख के बाद भुगतान करने पर 3% वृध्यात्मक (incremental) शुल्क के साथ भुगतान करना अनिवार्य होगा। दो माह तक किराया जमा नहीं किए जाने की स्थिति में संचालक का जमा प्रतिभूति/जमानत राशि को राज्यसात कर लिया जाएगा।

9. सरकार को देय सभी तरह के वैधानिक करों यथा आयकर, जी.एस.टी. इत्यादि/देयताओं का भुगतान सफल निविदाकर्त्ता (वाहन स्टैंड संचालक) को अलग से करना होगा जिसकी जिम्मेवारी संचालक की होगी।

10. समय पर अग्रिम राशि का भुगतान नहीं करने पर वाहन स्टैंड संचालक द्वारा जमा जमानत राशि को राज्यसात करने तथा निविदा रद्द करने का पूरा अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा। इसके अतिरिक्त यदि वाहन स्टैंड संचालक के विरूद्ध कोई राशि बकाया रह जाती है तो नीलाम–पत्र मुकदमा दर्ज कर ब्याज सहित राशि की वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

11. वाहन स्टैंड संचालक को पार्किंग साफ–सुथरा रखना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो जुर्माना के भागी होंगे एवं इसके संबंध में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं संचालक को मान्य होगा।

12. गेट न० 1 पर वाहन स्टैंड के अन्दर अवस्थित शौचालय को साफ–सुथरा रखने की जिम्मेवारी संचालक की होगी जिसका निरीक्षण उद्यान के पदाधिकारियों के द्वारा समय–समय पर किया जाएगा। शौचालय गंदा पाये जाने पर संचालक दंड के भागी होंगे।

13. वाहन स्टैंड संचालक को यह अधिकार होगा कि उपर्युक्त स्टैण्ड में वाहन /साईकिल रखने वालों से निम्नवत् दर से राशि वसूल कर सकेंगे :–

वाहन का प्रकार	**दर (4 घंटे के लिए)**	**अभियुक्ति**
साईकिल	रू० 5/–	प्रस्तावित दर 4 घंटे के लिए मान्य होगा। 4 घंटे से अधिक समय होने पर उद्यान बंद होने के समय तक के लिए निर्धारित दर का दुगुना।
मोटर साईकिल/ स्कूटर	रू० 10/–	
कार/जीप	रू० 20/–	
भारी वाहन (बस) ।	रू० 100/–	

14. वाहन स्टैण्ड संचालक प्रातःकालीन पासधारक भ्रमणकर्त्ताओं को निम्नांकित दर पर मासिक पास निर्गत कर सकेंगेः—

वाहन का प्रकार	**दर**			
	मासिक	**त्रैमासिक**	**अर्द्धवार्षिक**	**वार्षिक**
साईकिल	50 / —	135 / —	250 / —	450 / —
मोटर साईकिल / स्कूटर	100 / —	250 / —	450 / —	1000 / —
कार / जीप	200 / —	550 / —	1000 / —	1800 / —

15. संचालक को दोनों स्टैण्ड के निकट **एक बड़े साईज के पट्ट पर दर तालिका** लगाना होगा जिसपर इस शर्त की कंडिका—13 एवं 14 में दर्शाया गया दर साफ—साफ अंकित करना होगा।

16. संचालक, स्टैण्ड के संचालन के लिये निर्धारित दर का टिकट स्वयं छपवायेंगे एवं अपना कर्मचारी रखकर स्टैण्ड का संचालन करेंगे। स्टैण्ड में रखे गये कर्मचारियों का पूरा पता संचालक निदेशक कार्यालय में देंगे तथा उनके प्रत्येक गतिविधि की जिम्मेवारी संचालक की होगी। संचालक को टिकट का नमूना निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, से अनुमोदित कराना होगा।

17. वाहन स्टैण्ड से किसी तरह के वाहन की चोरी होने अथवा खो जाने पर पूरी जिम्मेवारी संचालक की होगी तथा वाहन मालिक को हर्जाना का भुगतान संचालक के द्वारा ही करना होगा।

18. संचालक दोनों गेटों के बाहर उद्यान की अनुमति से लगाये गये ठेला से किसी प्रकार की वसूली नहीं करेंगे और न ही इसपर कोई दावा / विवाद करेंगे।

19. वाहन स्टैण्ड का निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली एवं शौचालय की गंदगी की शिकायत मिलने एवं दोषी पाये जाने पर प्रत्येक दोष के लिए संचालक दण्ड के भागी होंगे। प्रत्येक दोष के लिए दण्ड की राशि न्यूनतम रू० 2000 / — (दो हजार रूपये) होगी।

20. निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, को अधिकार होगा कि निविदा की शर्तो के उल्लंघन के आरोप में अथवा एक माह के अग्रिम सूचना पर बिना कारण बताये सफल निविदा को रद्द कर सकते हैं।

21. निविदा प्रपत्र में निविदाकर्त्ता इस बात को प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तो को पढ़ा / पढ़वाया और समझा है तथा वे सभी शर्तो को स्वीकार करते हैं।

22. निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकृत कर दें।

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

दिनांक 01–11–2018 से 31–10–2019 तक संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के गेट न० 1 एवं 2 पर अवस्थित एवं चिन्हित वाहन/साईकिल स्टैण्ड की बन्दोबस्ती हेतु वित्तीय बिड का प्रपत्र।

प्रपत्र 'ख'

प्रेषक,

नामः–

पिता का नामः–

पत्राचार का पताः–

दूरभाष/ मोबाईल संख्या–

सेवा में,

निदेशक,

संजय गाँधी जैविक उद्यान,

पटना।

महाशय,

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के गेट न० 1 एवं 2 पर अवस्थित एवं चिन्हित वाहन/साईकिल स्टैण्ड दिनांक 01–11–2018 से 31–10–2019 तक संचालन हेतु मैं रूपये............(रूपये...) प्रतिमाह का दर अर्पित कर रहा हूँ।

2– उक्त पते पर जो भी पत्राचार किया जाएगा, मुझे स्वीकार्य होगा।

3– यदि मेरा निविदा स्वीकार किया जाता है तो मैं निविदा शर्त की कंडिका 5 के अनुसार निविदा अवधि की कुल राशि की 25% (पचीस प्रतिशत) राशि जमानत राशि के रूप में जमा करूंगा।

4– मैंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/पढ़वाया और समझा है तथा मैं सभी शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

आपका विश्वासी,

दिनांक 01–11–2018 से 31–10–2019 तक संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के गेट न० 1 एवं 2 पर अवस्थित एवं चिन्हित वाहन/साईकिल स्टैण्ड की बन्दोबस्ती हेतु तकनीकी बिड का प्रपत्र।

प्रपत्र 'क'

क्रमांक	तकनीकी सूचना	निविदात्ता द्वारा समर्पित सूचना	पृष्ठ संख्या
1	निविदादात्ता द्वारा क्रय किए गए निविदा प्रपत्र से संबंधित मनी रसीद की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
2	निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, के पदनाम में रू० 25,000/–(रूपये पचीस हजार) के अग्रधन राशि (सत्यंकार राशि) का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट।		
3	पैन कार्ड की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
4	वर्ष 2017–18 के आयकर रिटर्न (Assessment year 2018-19) की स्वःअभिप्रमाणित छायाप्रति। मूल प्रति निविदा खोलने के समय प्रस्तुत करेंगे।		
5	पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेट से अभिप्रमाणित न्यूनतम 20.00 लाख रूपये मात्र की परिसम्पत्ति (Capital asset).		
6	पता और पहचान–पत्र से संबंधित स्वःअभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र। मूल प्रमाण–पत्र निविदा खोलने के समय प्रस्तुत करेंगे।		
7	राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हस्ताक्षर।		
8	सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदादाता का नाम दर्ज होने/ न होने संबंधी घोषणा–पत्र।		

निविदाकर्त्ता का हस्ताक्षर

पूरा पताः–

घोषणा–पत्र

मैं... पिता का नाम...

ग्राम.................................... पो० .... थाना... जिला.....

.........................घोषणा करता हूँ कि मैं ....

.....................(विभाग / कार्यालय का नाम) में .... से ....

.... अवधि तक के लिए साईकिल स्टैण्ड / वाहन स्टैंण्ड का संचालक हूँ / था तथा उस विभाग / कार्यालय अथवा किसी भी कार्य के लिए किसी सरकारी विभाग / कार्यालय द्वारा मुझे कृष्णचिन्हित किया / नहीं किया गया है।

निविदाकर्त्ता का हस्ताक्षर

तिथिः–